संख्या -6/2018/097/18-2-2018-80(ल0उ0)/2017

प्रेषक

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 जनवरी,2018

विषय:- औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु एस0पी0वी0 का गठन।

महोदय,

उद्यमियों द्वारा औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं उच्चीकरण हेतु निरन्तर की जा रही मांग के दृष्टिगत शासन द्वारा बजट के माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही धनराशि से आस्थानों में मरम्मत/उच्चीकरण के कार्य कराये जा रहे है परन्तु आस्थानों में मरम्मत/उच्चीकरण के कार्य निरन्तर बने रहते है जो कि बजट के सीमित संसाधनों के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहे है। आस्थानों में उद्यमियों को अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है जिसकी प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या- 22/2017/869/18-2-2018-80(ल0उ0)/2017, दिनांक 15-12-2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 के बिन्दु सं0-5.1.9 में विद्यमान औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के सुद्ढीकरण हेतु उद्यमियों के सहयोग से एस0पी0वी0 का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- आवंटी/उद्यमियों द्वारा एस0पी0वी0 गठित कर अपने संसाधनों से अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि एकत्रित कर राष्ट्रीयकृत बैंक में उपायुक्त उद्योग के साथ संयुक्त खाता खोल कर जमा कराया जायेगा।

3- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा उक्त योजनान्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक में शासन से धनराशि प्राप्त कर उपायुक्त उद्योग की मांग पर एस0पी0वी0 में उद्यमियों की सहभागिता के समानुपात में उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपायुक्त उद्योग द्वारा औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु कार्य कराये जाने हेतु धनराशि का आहरण संयुक्त रूप से किया जायेगा।

5- बैंक खातें का समय-समय पर आडिट भी अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। गुणवत्तापूर्ण कार्य कराये जाने का दायित्व उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र का होगा।

6- इस नवीन योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपदों में एस0पी0वी0 द्वारा जमा धनराशि के सापेक्ष समानुपात में धनराशि की मांग का प्रस्ताव यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का का कष्ट करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-5/2018/097(1)/18-2-2018-80(ल0उ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- समस्त परिक्षेत्रीय अपर/ संयुक्त आयुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रात्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पवन कुमार)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।